प्रेषक,

आयुक्त
बरेली मण्डल, बरेली।

<u>पंजीकृत</u>

सेवा में,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र–2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति बिहार, नई दिल्ली।

पत्रांकः सी0 बी0 एस0 ई0/ /207–16 दिनांक 26.09.17

विषयः <u>विद्या निकितन पब्लिक स्कूल माधौटांडा, पूरनपूर जनपद पीलीभीत को सी0 बी0 एस0 ई0 नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सन्दर्भ में।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषय से आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुये अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या शिक्षा अनुभाग–7 1916/15–7–2009–(290)/2007 दिनांक 14 जुलाई 2009 के कम में गठित समिति की संस्तुति दिनांक 26.09.2017 के कम में उपर्युक्त संदर्भित विद्यालय को सी0 बी0 एस0 ई0 नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ती प्रमाणपत्र निम्नलिखित प्रतिबंधो अनापत्ती निर्गत की जाती है:–

01. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
02. विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
03. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे उनमें उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।
04. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/कौसिल फॉर दी इण्यिन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त स्वतः समाप्त हो जायेगा।
05. संस्था के शैक्षित एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतनमानो तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमानों तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेंगे
06. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयो के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।
07. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेशा निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
08. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
09. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नही किया जायेगा।

उक्त प्रतिबंधों पालन करना संस्थ के लिए अनुवार्य होगा यदि किसी समय पर यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधो का पालन नही किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार की ओर से गठित समिति द्वारा प्रदत्ता अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रत्याहरित कर जायेगा।

भवदीय,

आयुक्त
बरेली मण्डल, बरेली।
दिनांक उक्तवत्।

पृ0सं0 सी0 बी0 एस0 ई0/5253-60 /2017–18

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01. संयुक्त सविव उ0प्र0 शासन, शिक्षा अनुभाग, लखनऊ।
02. शिक्षा निदेशक (मा0) उत्तर प्रदेश लखनऊ।
03. जिलाधिकारी पीलीभीत।
04. संयुक्त शिक्षा निदेशक बरेली मण्डल, बरेली।
05. जिला विद्यालय निरीक्षक पीलीभीत।
06. प्रबंधक/प्रधानाचार्य विद्या निकितन पब्लिक स्कूल माधौटांडा, पूरनपूर जनपद पीलीभीत।
07. निरीक्षक आंगल भारतीय विद्यालय उ0प्र0 लखनऊ।

संयुक्त शिक्षा निदेशक
बरेली मण्डल बरेली।

Manager
Vidya Niketan Public School
Fulhar, Madhotanda, PBT-262122

Principal
Vidya Niketan Public School
Fulhar, Madhotanda, PBT-262122

प्रेषक,

आयुक्त
बरेली मडण्ल, बरेली।

पंजीकृत

सेवा में,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र–2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति बिहार, नई दिल्ली।

पत्रांकः सी0 बी0 एस0 ई0/5253-60 /207–16 दिनांक 26-09-17

विषयः विद्या निकितन पब्लिक स्कूल माधौटांडा, पूरनपूर जनपद पीलीभीत को सी0 बी0 एस0 ई0 नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुये अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या शिक्षा अनुभाग–7 1916/15–7–2009–(290)/2007 दिनांक 14 जुलाई 2009 के कम में गठित समिति की संस्तुति दिनांक 26.09.2017 के कम में उपर्युक्त संदर्भित विद्यालय को सी0 बी0 एस0 ई0 नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ती प्रमाणपत्र निम्नलिखित प्रतिबंधो अनापत्ती निर्गत की जाती हैः–

01. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
02. विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
03. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे उनमें उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।
04. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/कौसिल फॉर दी इण्यिन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त स्वतः समाप्त हो जायेगा।
05. संस्था के शैक्षित एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमानों तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेंगे
06. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयो के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।
07. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेशा निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
08. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
09. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नही किया जायेगा।

उक्त प्रतिबंधों पालन करना संस्थ के लिए अनुवार्य होगा यदि किसी समय पर यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधो का पालन नही किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार की ओर से गठित समिति द्वारा प्रदत्ता अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रत्याहरित कर जायेगा।

भवदीय,

आयुक्त
बरेली मडण्ल, बरेली।
दिनांक उक्तवत्।

पृ0सं0 सी0 बी0 एस0 ई0/ /2017–18

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01. संयुक्त सचिव उ0प्र0 शासन, शिक्षा अनुभाग, लखनऊ।
02. शिक्षा निदेशक (मा0) उत्तर प्रदेश लखनऊ।
03. जिलाधिकारी पीलीभीत।
04. संयुक्त शिक्षा निदेशक बरेली मण्डल, बरेली।
05. जिला विद्यालय निरीक्षक पीलीभीत।
06. प्रबंधक/प्रधानाचार्य विद्या निकितन पब्लिक स्कूल माधौटांडा, पूरनपूर जनपद पीलीभीत।
07. निरीक्षक आंगल भारतीय विद्यालय उ0प्र0 लखनऊ।

संयुक्त शिक्षा निदेशक
बरेली मडण्ल बरेली।

Manager
Vidya Niketan Public School
Fulhar, Madhotanda, PBT-262122

Principal
Vidya Niketan Public School
Fulhar, Madhotanda, PBT-262122